

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एफ 13 (10)(4) खा.वि./खा.सु.अ./2014


जयपुर, दिनांक 15-12-2020

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) की धारा 16 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 13(10)(4) खा.वि./खा.सु.अ./2013 दिनांक 10.03.2017 से गठित राजस्थान राज्य खाद्य आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम एवं पद	श्रेणी
1	श्री नवीन जैन, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2	सुश्री अरूणा राजोरिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी	सदस्य
3	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग	सदस्य सचिव
4	डॉ. प्रतिभा सिंह, निदेशक, समकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य
5	श्री ओम प्रकाश बुनकर, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
6	श्री सौरभ स्वामी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
7	श्री तारा चन्द मीणा, निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन	सदस्य

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सम्बंधित अधिकारी।
7. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
10. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. रक्षा पत्रिका।

Km
15/12/2020
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव